इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ़ 30, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. एफ-1-2-2011-एक (1)-1508.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में,—

(एक) अनुक्रमांक पच्चीस तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**पच्चीस-आदिम जाति कल्याण**"

(दो) अनुक्रमांक बासठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"**तिरेसठ-अनुसूचित जाति कल्याण.**"

2. अनुसूची में,—

(एक) विद्यमान शीर्षक पच्चीस-आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा उनसे संबंधित भागों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, भाग और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**पच्चीस-आदिम जाति कल्याण विभाग**"

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :—

1. अनुसूचित जनजातियां (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं).

2. अनुसूचित क्षेत्र-जनजाति मंत्रणा परिषद्.

3. जनजाति अनुसंधान तथा विकास संस्थान.

4. जनजाति क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्वय.

5. एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम तथा जनजाति परियोजनाएं.

6. जनजाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान.

7. जनजाति क्षेत्र विकास योजनाएं तथा अनुसंधान.

8. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थ.—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी निवृत्ति, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :—

1. ऋण राहत अधिनियम.

2. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995).

3. अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित).

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :—

1. आयुक्त, आदिम जाति विकास.

2. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास योजनाएं.

3. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा विकास संस्थान.

4. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.

(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :—

1. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्था तथा निकाय :—

1. मध्यप्रदेश कोल विकास अभिकरण.

2. उद्यमी विकास संस्थान.

3. वन्य प्रकाशन.

4. बैगा, भारिया तथा सहरिया जनजातियों हेतु जिला स्तरीय अभिकरण.

5. मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्.

6. मध्यप्रदेश जनजाति कल्याण आवासीय तथा आश्रम शैक्षणिक सोसायटी.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:—

कुछ नहीं.

(दो) शीर्षक बासठ और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, भाग तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''तिरेसठ-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग''

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :—

1. अनुसूचित जातियां (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं).
2. अस्पृश्यता निवारण और सिविल अधिकारों का संरक्षण.
3. अनुसूचित जाति विकास योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान.
4. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थ.—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :—

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955.
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.
3. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995).

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :—

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास.
2. सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ.
3. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग.

(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :—

1. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम.

(उ) **ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्था तथा निकाय.**—1. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू.

(ऊ) **विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो.**—1. अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास तथा राहत हेतु आकस्मिक योजना नियम, 1995.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. एफ-1-2-2011-एक (1)-1509.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1-2-2011-एक-(1), दिनांक 21 जुलाई 2011 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 21st July 2011

No. F-1-2-2011-One (1)-1508.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules, In rule 2.—

(i) for serial number XXV and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

"XXV—TRIBAL CASTE WELFARE"

(ii) after serial number LXII and entries relating thereto, the following serial number and entries relating there to shall be added, namely :—

"LXIII—SCHEDULED CASTE WELFARE"

2. In the schedule.—

(i) for the existing heading XXV—TRIBAL AND SCHEDULED CASTE WELFARE DEPARTMENT and parts and entries relating thereto, the following heading, parts and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XXV—TRIBAL WELFARE DEPARTMENT"

(A) Matters of Policy dealt within the Department :—

1. Scheduled Tribes (Excluding matters specifically failling within the scope of other departments matters e.g. service and educational concessions).
2. Scheduled Area - Tribes Advisory Council.
3. Tribal Research and Development Institute.
4. Co-ordination of Social Services in Tribal Areas.
5. Integrated Tribal Development programme and Tribal Projects.
6. Determination and Estimates of Tribal Sub-Plan.
7. Tribal Area Development Schemes & Research.
8. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e. g. appointments, posting, transfers, pay leave, pension, promotions provident funds, deputation, punishments and memorials.

(B) Acts and Rules Administered by the Department:—

1. Debt Relief Act.
2. The Mahdya Pradesh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).
3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. (Administered by Central Government).

(C) Directorates and offices coming under the Department:—

1. Commissioner, Tribal Development.
2. Director, Tribal Area Development Planning.
3. Director, Tribal Research and Development Institute.
4. The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Janjati Ayog.

(D) Boards and Corporations set up under Acts:—

1. Madhya Pradesh Adivasi Vitt Evam Vikas Nigam.

(E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above.—

1 Madhya Pradesh Kol Vikas Abhikaran.

2. Udyami Vikas Sansthan,

3. Vanya Prakashan.

4. District level agency for Baiga, Bharia and Sahria Tribes.

5. Madhya Pradesh Employment and Training Council

6. Madhya Pradesh Tribal Welfare Residential and Ashram Educational Institutions Society.

(F) Name of the Service, if any, coming under the Department and special Service matters, if any:

Nil.

(ii) after heading LXII and entries relating thereto, the following heading, parts and entries relating thereto shall be enserted, namely :—

"LXIII—SCHEDULED CASTE WELFARE DEPARTMENT"

(A) Matters of Policy dealt within the Department:—

1. Scheduled Castes (Excluding matter specifically falling within the scope of other department, e.g. service and educational concessions).

2. Removal of Untouchability and Protection of Civil Rights.

3. Scheduled Caste Development Schemes and determination and estimates of Schedued Caste Sub Plan.

4. All matter relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e. g. appointments, posting, transfers, pay, leave, pension, promotions, provident funds, deputation, punishments and memorials.

(B) Acts and Rules Administered by the Department:—

1. Civil Rights Protection Act, 1955.

2. Schedule Caste and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

3. The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 25 of 1995).

(C) Directorates and offices coming under the Department.—

1 Commissioner, Scheduled Caste Development.

2. Civil Rights Protection Cell.

3. The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jait Ayog.

(D) Boards and Corporations set up under Acts:—

1. Madhya Pradesh Scheduled Caste Finance Development Corporation.

(E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above:—

1. Dr. Baba Saheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Mhow.

(F) Name of the Service, if any, coming under the Department and special Service matters, if any:—

1 Atayachar Se Peedit Vyaktiyon Ko Arthik, Samajik, Evam Shaikshanik Punarvas Tatha Rahat Hetu Akasmik Yojna Niyam 1995.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.